संख्या: 112/2021/1506/छप्पन-2021-180क्यू/81

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर , 2021

विषय: राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों के फालतू पुर्जों के क्रय व उनके अनुरक्षण तथा आयल/ लुब्रीकेन्ट्स/ ए0टी0एफ0 व ए0वी0 गैस आदि के लिए मेसर्स एच0ए0एल0, बंगलौर, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन तथा विदेशी कम्पनियों/फर्मों को अग्रिम भुगतान करने हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश को अग्रिम आहरण का अधिकार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या– 179/ना0उ0नि0/6-जी/88, दिनांक 27 जुलाई, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लिखित है कि शासनादेश संख्या-17/2021/151/ छप्पन-2021-180क्यू/81 दिनांक 12 फरवरी, 2021 जिसके द्वारा राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों के फालतू पुर्जों, ग्राउण्ड सपोर्ट एक्यूपमेन्ट के क्रय एवं उनके अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों हेतु मेसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को अग्रिम भुगतान करने तथा विदेशी कम्पनियों/फर्मों के नाम स्टेट बैंक आफ इंडिया में " लेटर आफ क्रेडिट " खोलने हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को एक मामले में रूपये 30,00,000/- (रूपये तीस लाख मात्र) तक का अग्रिम आहरण की स्वीकृति दिनांक 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिये प्रदान की गयी है तथा राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों के लिए ऑयल/लुब्रीकेन्ट्स/ ए0टी0एफ0 तथा ए0वी0 गैस आदि के क्रय हेतु भारत सरकार के उपक्रम इंडियन आयल कारपोरेशन को अग्रिम भुगतान करने हेतु उन्हें एक मामले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रूपये 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) के अग्रिम आहरण तथा इतनी ही धनराशि का ऑयल/लुब्रीकेन्ट्स/ए0टी0एफ0 तथा ए0वी0 गैस आदि का क्रय किए जाने की अनुमति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है, में संशोधन किया जाना है। उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 27 जुलाई, 2021 में किए गए प्रस्ताव के क्रम में राज्यपाल महोदय उक्त शासनादेश संख्या-17/2021/151/छप्पन-2021-180क्यू/81 दिनांक 12 फरवरी, 2021 में आंशिक संशोधन यथा राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों के फालतू पुर्जो, ग्राउण्ड सपोर्ट इक्युपमेंट, टूल्स तथा गेजेज के क्रय व तत्सम्बन्धी अनुषांगिक व्यय एवं उनके अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य जैसे कैलीब्रेशन/ओवरहाल/सर्विसिंग/ मरम्मत का कार्य, तकनीक डाक्यूमेंट्स/मीडिया/ई-चार्ट्स/नैव डाटा का सब्सक्रिप्सन, एवियोनिक्स उपकरणों के मेंटीनेंस सपोर्ट प्रोग्राम का क्रय/कार्य को निर्माता कंपनी/निर्माता कंपनी द्वारा अधिकृत अथवा महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य बाहरी संस्थाओं से कराये जाने के निमित्त यथावश्यकता अग्रिम/बिल के आधार पर भुगतान करने तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अग्रिम भुगतान करने एवं विदेशी निर्माता कंपनियों/उनके द्वारा अधिकृत/अनुमोदित (भारतीय फर्मों)के नाम स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में लैटर ऑफ़ क्रेडिट (साख पत्र) खोलने तथा वायर ट्रान्सफर/स्विफ्ट के माध्यम से अग्रिम/बिल के आधार पर भुगतान करने हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को एक मामले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू0 30,00,000/- (तीस लाख मात्र) तक की धनराशि के अग्रिम आहरण एवं भुगतान की स्वीकृति का अधिकार प्रदान किए जाने तथा राजकीय वायुयानों/हेलीकॉप्टरों के लिए आयल/लुब्रिकेन्ट्स/ए0टी0एफ0 तथा ए0वी0 गैस आदि के क्रय हेतु भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स इण्डियन आयल/भारत पेट्रोलियम/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा इण्डियन आयल के सहयोगी फर्म ए0वी0आयल को अग्रिम भुगतान करने हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को एक मामले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रूपये 10,00,000/- (दस लाख मात्र) के अग्रिम आहरण व भुगतान करने का अधिकार भी प्रदान किए जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों हेतु आवश्यक पुजों, विभिन्न प्रकार के उपकरणों, डाक्यूमेन्ट्स, ई-चार्टर्स, नैविगेशन डाटा आदि का सब्सक्रिप्शन प्राथमिकता के आधार पर निर्माता फर्म से ही क्रय किया जाए।
2. विदेशी फर्मों को भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से किया जाए। वायर ट्रांसफर/स्विफ्ट के माध्यम से भुगतान तभी किया जाए जब लेटर ऑफ क्रेडिट से सम्भव न हो अथवा अत्यधिक विलम्ब की सम्भावना हो। इस सम्बन्ध में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक व उ0प्र0 सरकार के सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं के निर्देशों/नियमों का अनुपालन किया जाए।
3. संस्थाओं/फर्मों को बिल बेसिस पर ही प्राथमिकता पर भुगतान किया जाए, यदि उनके द्वारा अग्रिम के अभाव में आपूर्ति करने/कार्य सम्पादित करने में असमर्थता व्यक्त की जाए, तो ऐसी दशा में ही अग्रिम रूप में उनको भुगतान किया जाए।

2- उक्त शासनादेश संख्या-17/2021/151/छप्पन-2021-180क्यू/81 दिनांक 12 फरवरी, 2021 इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए तथा उक्त सन्दर्भित शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या : एफ0ए0-1-44/दस-2021, दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

पृ0 संख्या: 112/2021/1506(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया सम्बन्धित अग्रिम बिल पारित करते समय सुनिश्चित कर लें कि मामले में उपबन्धों का अनुपालन किया गया है।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in